UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. –87-91

'विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आगमन एवं उसका उच्च शिक्षा पर प्रभाव'

डॉ. सुहास धाण्डे
(उपप्राचार्य, रेनेसां कॉलेज ऑफ कॉमर्स एण्ड मैनेजमेंट)

सारांश
प्रस्तुत शोधपत्र के माध्यम में शोधार्थी ने विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में स्थापना एवं आगमन के कारण भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में व्यक्ति के जीवन में जीवन मूल्यों का महत्व बढता जा रहा है। जीवन मूल्यों का मूल आधार शिक्षा और संस्कृति है। विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में आगमन जहाँ एक ओर भारत में स्थानीय विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानो के लिए एक चुनौती पैदा कर रहा है, वही दूसरी ओर हमे इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा है यदि हमें विदेशी विश्वविद्यालयों से प्रतियोगिता करना है तो हमें न केवल अपने ौक्षणिक स्तर में सुधार करना होगा वरन् आधारभूत संरचना, शोधकार्य के लिए दी जाने वाली सुविधाएँ, शिक्षकों एवं अशैक्षिणक कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाले वेतन भत्तों आदि में भी सुधार करना होगा। प्रस्तुत ोधपत्र में विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय उच्च शिक्षा पर पडने वाले सुप्रभावों एवं दुश्प्रभावों के साथ–साथ इनकी स्थापना में पडने वाली बाधाओं का भी विवेचन किया गया है और अन्त में कुछ सुझावों के साथ निश्कर्श दिया गया है।
कुंजी शब्द :- विदेशी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, जीवन मूल्य

भारत में शिक्षा का इतिहास तक्षशिला और नालंदा के प्राचीन नगरों से प्रारम्भ होता है। ब्रिटिश राज्य की स्थापाना के साथ ही पाश्चात्य शिक्षा का भी भारतीय समाज पर प्रभाव परिलक्षित होता है। भारत ने साक्षरता के क्षेत्र में लगभग 2/3 जनसंख्या को साक्षर बनाकर अभूतपूर्ण प्रगति की है। भारत के आर्थिक विकास में भारतीय शिक्षा के बढते हुए स्तर का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास का अधिकांश श्रेय निजी क्षेत्र को जाता है। सन् 2008 में निजी ौक्षिक बाजार लगभग 40 बिलियन डॉलर का था जो सन् 2012 मे ंबढकर लगभग 68 बिलियन डॉलर का हो गया है। आधुनिक भारत में स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने न केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए वरन् उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किये है। नवम्बर 1956 में संसद के अधिनियम के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं नियमन के लिए यह सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च शिक्षा संस्थानों को पर्याप्त मात्रा में कोश उपलब्ध करवाती है। साथ ही केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में तथा 6 क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरू, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबादी कोलकता तथा पुणे में कार्यरत है। वर्तमान मे भारत मे ं42 केन्द्रीय विश्वविद्यालय 130 डिम्ड युनिवर्सिटिज, 261 राज्य विश्वविद्यालय 73 निजी विश्वविद्यालय, 33 राश्ट्रीय महत्व के ौक्षिण संस्थान तथा 5 राज्य अधिनियमों के अधीन स्थापित संस्थान UGC के अधीन कार्यरत है। इस समय देश में लगभग 340 विश्वविद्यालयों के अधीन 5000 से अधिक ौक्षिणक संस्थाएँ कार्यरत है जिनमें 146.25 लाख विद्यार्थी पंजीकृत है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात औसतन 1:24 है। देश में कार्यरत वर्तमान तंत्र, जिस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया था उसकी पूर्ति करने में पूर्ण रूप से समर्थ नही है। सामान्य रूप से बढती हुई छात्र संख्या, कोटा प्रणाली और राजनितिकरण के कारण शिक्षा एक

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. –87-91

लाभदायक व्यवसाय बन चुका है और इसी वजह से बेरोजगार युवकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढती जा रही है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए जबकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली न तो छात्र को वास्तविक ज्ञान प्रदान कर रही है और न ही उसे अपने पैरो पर सही तरीके से खडा होने के लिए शिक्षित कर रही है। बेशक आज देश में डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, अधिकारी आदि बन रहे है परन्तु उनमें **मूल्य और संस्कृति** का अभाव देखने मिलता है। वास्तव में शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिये जो व्यक्ति को विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, कला साहित्य आदि से अवगत करा सकें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली किसी बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम नही है। देश में रोजगारमूलक शिक्षा का अभाव है। शैक्षणिक संस्थाएँ मात्र सिलेबस पूर्ण कर परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने में छात्रों की मदद कर रही है परन्तु इसके कारण उनके **चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास** में मदद नहीं मिल पा रही है।

सन् 1985 के बाद जब से देश में हमारे देश में पढने वाले छात्र विशेश रूप से इंजिनियंरिंग, आई.टी., मेडिकल आदि के छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगे और शिक्षा पूर्ण करने के बाद रोजगार के लिए विदेशों मे ंही स्थायी रूप से बसने लगे है, निश्चित ही यह एक चिंता का विशय था। उद्योगों के साथ–साथ देश में शिक्षा के क्षेत्र मे भी वैश्विकरण और निजीकरण के दौर की तेजी से ुरूआत हुई आज देश में 52% शिक्षण संस्थाएँ एकल शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है जिनमें से 70% से अधिक निजी शिक्षण संस्थाएँ है। शिक्षा जो कि सरकार को प्राथमिक सूची का हिस्सा है, में तेजी से बढता निजीकरण सरकार के लिए चिंता का विशय था। क्यों कि इन शिक्षण संस्थाओं को नियमित एवं संचालित करने के लिए देश में कोई कानून नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में सन् 2010 में अधिनियम पारित किया गया।

देश में निजीकरण के साथ ही वैश्विक शिक्षा की मांग तेजी से बढने लगी। इसी के मद्देनजर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आमंत्रित करने और उनके संचालन के लिए अधिनियम पारित किया गया। इससे विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसमें ये विदेशी विश्वविद्यालय भारत में विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम प्रारंभ कर सकेंगे, संस्थाएँ स्थापित कर सकेंगे। बेशक इससे भारत में उच्च शिक्षा तंत्र पर इसका व्यापक प्रभाव पडेगा।

विशेश रूप से अमेरिका भारत में अपने विश्वविद्यालयों की स्थापना को लेकर काफी उत्सुक है क्योंकि इससे वहाँ लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देने में मदद मिलेगी। परन्तु प्रश्न यह है कि भारत का उच्च शिक्षा तंत्र विदेशी विश्वविद्यालयों से मिलने वाली चुनौती का सामना करने के लिए कितना तैयार है? इस हेतु हमें विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत मे ंप्रवेश के सुप्रभावों ओर कुप्रभावों पर विचार करना होगा।

लाभ / सुप्रभाव

1. **''ब्रेन ड्रेन'' पर रोकः**– विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत मे ंस्थापित होने से भारत के वे विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा के लिए विदेश चले जाते थे, अब वे अपने ही देश में रहकर उच्च शिक्षा और रोजगार प्राप्त कर सकेगे। ोधार्थियों को आवश्यक सुविधाएँ एवं फंड आसानी से उपलब्ध हो सकेगे।
2. **बेहतर अवसरः**– प्रतिवर्श लगभग 90000–100000 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को जाते है। निश्चित ही विदेशी विश्वविद्यालयों में बेहतर आधारभूत संरचना, बेहतर सुविधाएँ, बेहतर शिक्षक उपलब्ध होते है जो कि छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करते है।
3. **संस्कृति और मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं:**– विदेशी विश्वविद्यालय चूकिं हमारे देश में आयेंगे ओर यहाँ के छात्र भी उनकी निर्धारित फीस चुकाकर उनकी शिक्षा प्राप्त करेगे जिसके कारण हमारी संस्कृति और मूल्यों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा।
4. **कम खर्चीलाः**– यदि विदेशी विश्वविद्यालय हमारे देश में आकर अपना पूरा ढांचा कम लागत पर स्थापित करेंगे तो निश्चित ही हमारे देश की स्थानीय ौक्षिण संस्थाओं को कडी प्रतिस्पर्धा का सामना करना

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. –87-91

पडेगा। छात्र निश्चित तौर पर विश्वस्तरीय सुविधाओं, शिक्षक और संसाधनों को ही प्राथमिकता देंगे। इस कारण छात्रों को सभी सुविधाएँ कम लागत पर अपने देश में ही उपलब्ध हो सकेगीं। इससे अप्रत्यक्ष रूप से देश के आर्थिक विकास में मदद हो सकेगी।

5. **अधिक सुविधाजनकः**– विदेशी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो जाने से बाहरी विश्वविद्यालय हमारे देश में UGC के निरीक्षण में कार्य कर सकेगे। ये विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप ये अपने पाठ्यक्रम संचालित कर अपनी डिग्री भी प्रदान कर सकेगें। इससे इन संस्थाओं को भी स्वतंत्र और सुविधाजनक रूप से अपना करोबार चलाने में मदद मिलेगी।
6. **भारतीय शिक्षा के स्तर में सुधारः**– जिस प्रकार बहुराश्ट्रीय कम्पनियों के भारत में आने से भारतीय कम्पनियों की कार्यशैली एवं performance मे ंसुधार आया है, ठीक उसी प्रकार विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत आगमन से भारतीय विश्वविद्यालयों एवं ौक्षणिक संस्थाओं के ौक्षणिक स्तर में और अधिक सुधार होगर।
7. **रोजगारः**– विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में स्थापित होने से शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के समूहों के लिए रोजगार के अवसरो में वृद्धि होगी। ये तो पूर्ण रूप से असंभव हे कि वे पूरी श्रम ाक्ति अपने देश से लेकर आये। इसलिए हमारे देश में रोजगार की संभावनाएँ बढ़ेगी।
8. **अधिक शोध कार्यः**– वास्तव में ाोध एवं अनुसंधान एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ विदेशी विश्वविद्यालय, हमारे स्थानीय विश्वविद्यालयों से आगे होगें। भारतीय छात्रों को ाोधकार्य के लिए कुछ राशि तथा सुविधाएँ उपलब्ध करवाकर ये विदेशी विश्वविद्यालय छात्रों को अपने संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए आकर्शित कर सकते है। बावजूद इसके कि ये ाोधकार्य विदेशी विश्वविद्यालय में होंगे, इन ाोधकार्यों का लाभ भारत को और भारतीय छात्रों को मिलेगा।

हानियां/कुप्रभावः–

1. **अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर अध्ययन न कर पाने के दुश्प्रभावः**–भारत में विश्व के कुछ ही विदेशी विश्वविद्यालय/अध्ययन संस्थान आयेंगे परन्तु वे छात्र जो अभी तक विदेशों में जाकर अध्ययन और ाोध कार्य करने का सपना देख रहे थे उन्हे अन्तर्राश्ट्रीय स्तर के संस्थानों और परिवेश में पढने का अवसर नही मिल पायेगा।
2. **बड़ी संख्या में छात्रों के दिग्भ्रमित होने का भयः**–विदेशी विश्वविद्यालयों पर कोई सीधा ाासकीय नियंत्रण न होने से भारत में पढ रहे अनेकों छात्र जो विदेशी विश्वविद्यालयों में पढने के इच्छुक है, दिगभ्रमित हो सकते है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जा रही डिग्रिया मान्यता प्राप्त होगी या नही, यह छात्रों के लिए अनिश्चितता और जोखिम बढाने वाला महत्वपूर्ण घटक है।
3. **विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रति मोहः**– विदेशी विश्वविद्यालयों से पढने और डिग्री लेने का ग्लैमर कई छात्रों को आकर्शित कर सकता है। कई मापदण्डों पर यह ग्लैमर छात्रों के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है क्यों कि ये विश्वविद्यालय अपने संसाधनों के बल पर ुरूआत में छात्रों को आकर्शित तो कर सकते है परन्तु ाायद बाद में उनकी अपेक्षाओं को पूरा न कर पाये।
4. **नियामक संस्थाओं का अभावः**– विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में सफलतापूर्वक कार्य करने में सबसे बडी कमी उचित नियामक संस्थाओं का अभाव है। इन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली अध्ययन सामग्री, प्रदान की जाने वाली डिग्रियाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया एवं उसके मापदण्ड, शिक्षकों की योग्यताएँ इन संस्थाओं पर प्रत्यायन और उनकी वैधानिक स्थिति आदि निर्धारित करने के लिए कोई नियामक संस्था वर्तमान में नहीं हैं।
5. **गुणवत्ता की गारंटी नहींः**– विदेशी विश्वविद्यालयों की डिग्री को भारत में कई स्थानो पर मान्यता न होने से डिग्रीधारकों को नौकरी एवं भारत में अन्य उच्च शिक्षा प्राप्त करने में समस्या आ रही है। इसका प्रमुख

UDGAM VIGYATI, Volume 2, 2015, (November)
Online ISSN 2455-2488
Page No. –87-91

कारण विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों की भारत में गुणवत्ता प्रदान करने वाली कोई ऐजेंसी या संस्था नहीं है। आज तक यह स्थिति स्पश्ट नहीं है कि विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्री की वैधता की जिम्मेदारी कौन लेगा।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन की बाधाएँ

1. भूमि अधिग्रहण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाधा है क्योंकि इन्दौर में TCS, WIPRO, सिंबॉयसिस नारसीमौंजी जैसी भारतीय संस्थाओं और कंपनियों के लिए भी भूमि अधिग्रहण एक बाधा थी।
2. श्रम एवं संसाधनों की समस्या भी इन संस्थानों के लिए बाधा होगी। यदि भारतीय शिक्षकों को इन विश्वविद्यालयों द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वे समान या उच्च पारिश्रमिक की अपेक्षा करेंगे।
3. भारत में अपना केंपस स्थापित करने में आने वाली उच्च लागतें इन विश्वविद्यालयों के लिए काफी अधिक होंगी जिसके कारण इनकी फीस भी अधिक होगी जो संभवतः कुछ प्रतिभावान परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए ाायद वहन करनें में समस्या उत्पन्न करे।
4. विदेश जाकर पढने की लालसा संभवतः पूरी न हो सके इसलिए कुछ भारतीय छात्र इस विकल्प को स्वीकार न करे।

निश्कर्श

विदेशी विश्वविद्यालयों के भारत में आने से जहाँ एक और अनेकों लाभ होगें वही दूसरी ओर इनके अनेंकों दुश्प्रभाव भी होगें। इन विश्वविद्यालयों के भारत में स्थापित होने से जहाँ एक ओर भारतीय विश्वविद्यालयों और स्थानीय संस्थाओं को प्रतियोगिता को सामना करना पडेगा, वही दूसरी ओर इन्हें अपना स्तर उन्नत करने के लिए भी सतत प्रयत्नशील रहना होगा। छात्रों को भी अपने ही देश में रहकर विदेशों विश्वविद्यालयों की डिग्री प्राप्त करने का सपना आसानी से पूरा हो सकेगा। वैशवीकरण के आज दौर में यदि कुछ सावधनीयाँ बरती जाए, तो यह निश्चित ही हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक और ौक्षिक उन्नयन में मददगार साबित हो सकेगा। आवश्यकता है ाासकीय स्तर पर इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के पूर्व पर्याप्त जाँच परख कर ली जाये, इनका पाठ्यक्रम अध्ययन सामग्री, प्रदान की जाने वाली डिग्रिया आदि की गुणवत्ता परख ली जाये। इनकी डिग्रियों को UGC तथा AIU मान्यता प्रदान करे तभी भारत में इन विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रवेश सार्थक हो सकेगा। अन्यथा शिक्षा माफियाओं का एक अन्तर्राश्ट्रीय गिरोह तैयार हो जायेगा जिस पर बाद में नियंत्रण करना सरकार के भी नियंत्रण के बाहर हो जायेगा।

संदर्भ :–

- Agrawal P. (2009) 'Indian Higher Education : Envisioning the future' New Delhi Sage Publication.
- Agrawal Sanjiv S. & Borate Jyotsna – A research paper on 'Entry of Foreign & Private Universities in India – Challenge for Indian Universities' P-266, Academic reforms in Higher Education.
- Association of Indian Universities 2010, 'Foreign Providers in Indian Higher Education System', University News; A weekly Journal of Higher Education.
- B.S. Bhatia & G.S. Garg: Globalization and Business Management.
- Pant R.M. & Upadhyay N. : Business Education in India looking beyond 2000.